

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**  
**रामचंद्रपुरम :: हैदराबाद – 32**  
**( मानव संसाधन प्रबंधन )**

**बीएचईएल सेवानिवृत्त कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना (आरईसीएचएस)**

उद्देश्य : इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनकी पत्नी/पति को तथा सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारी की पत्नी/पति को नियत शर्तों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करना ।

**पात्रता :**

01. सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कम से कम 5 वर्ष बीएचईएल में सेवा की हो ।
02. जिन कर्मचारी ने पीईएसबी के माध्यम से नियुक्त होकर 53 वर्ष और उससे अधिक की आयु में कंपनी में कार्यग्रहण किया हो, वे भी इस योजना के पात्र होंगे ।
03. मृत कर्मचारी के संबंध में, पत्नी/पति के पात्र होने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा अपेक्षित होगी ।

**योगदान :**

सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता से पूर्व अंतिम सेवा माह के दौरान आहरित किए गए मूल वेतन की आधी राशि का एक बार एकमुश्त भुगतान । ऐसे मृत कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान 08.08.99 या उसके बाद हुई हो उनके पात्र आश्रित पत्नी/पति भी इस योजना के पात्र होंगे ।

कंपनी अनुमोदित अस्पतालों में न्यूरो, हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे, आदि सभी प्रमुख बीमारियों के लिए अस्पताल से इलाज की अनुमति प्रदान की जाती है । कमरे/वार्ड का किराया सेवारत कर्मचारी की तुलना में एक स्तर कम होगा । हितग्राही अनुमानित शुल्क का 20% सीधे अस्पताल को अग्रिम रूप में जमा करेंगे और कंपनी द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर 80% तक की क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी । अस्पताल में जमा की गई राशि को समायोजित करने के बाद शेष राशि, यदि कोई हो, तो अस्पताल से छुट्टी का प्रमाण-पत्र, अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि का विवरण, निदान, अस्पताल से छुट्टी की दिनांक इत्यादि के साथ बिल प्रस्तुत करने पर हितग्राही को उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

1. जहाँ कंपनी के अपने अस्पताल नहीं हैं । अस्पताल में भर्ती उपचार के लिए अन्य बीमारियों के उपचार हेतु कंपनी अनुमोदित अस्पताल / पंजीकृत नर्सिंग होम / सीजीएचएस मान्यताप्राप्त नर्सिंग होम / अस्पताल में सुविधा प्रदान की जाएगी ।

### **बाह्य रोगी उपचार :**

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पत्नी/पति कंपनी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा एवं उपचार के लिए बाह्य रोगी के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि को उनकी पात्रता के अनुरूप हकदार होंगे और उनकी पात्रतानुसार यह सेवा कंपनी अस्पताल/डिस्पेंसरी में उपलब्ध होगी ।
2. हितग्राही जिनको विशेष तौर पर कंपनी डॉक्टरों द्वारा परामर्श/उपचार हेतु भेजा गया हो, वे भी चिकित्सकीय सुविधा और उपचार हेतु अन्य पैनल डॉक्टरों साथ ही विशेषज्ञों के उपचार के हकदार होंगे । हालांकि, ऐसे मामलों में बाहरी डॉक्टरों द्वारा निर्धारित की गई दवाओं को केवल कंपनी अस्पतालों/डिस्पेंसरी द्वारा हितग्राहियों को आपूर्ति की जाएगी और दवाइयों की खरीद या नैदानिक परीक्षणों (diagnostic tests) के भुगतान हेतु किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

### **नवीनीकरण का तरीका :**

1. कार्ड जारी करने के एक वर्ष के उपरांत अगले वर्ष की किसी भी तिथि को कार्ड नवीनीकृत कराया जा सकता है ।
2. इसके बाद, कार्ड का नवीनीकरण केवल अप्रैल से मार्च तक किया जाएगा ।

### **ओपीडी प्रतिपूर्ति :**

1. आरईसीएचएस सदस्य/पत्नी या पति जहां निवासरत हैं, वहाँ बीएचईएल अस्पताल/पैनल अस्पताल मौजूद नहीं हैं तो उन्हें रूपए 12,000/- प्रतिवर्ष दिए जाएंगे । सदस्य को एक वैकल्पिक प्रपत्र जमा कर यह घोषित करना होगी कि वह बीएचईएल अस्पताल से ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं ले रहा है ।

### **नोट: आरईसीएचएस सदस्यों से अनुरोध है कि, ध्यान दें !**

- i) सदस्यता को पिछली अवधि के लिए भुगतान न किए गए पुनर्मूल्यांकन शुल्क के साथ 1 अप्रैल को या उससे पहले पुनरीक्षित किया जाना चाहिए ।
- ii) पंजीकरण के समय कर्मचारी के स्टेशन/इकाई में उपलब्ध न होने की स्थिति में, समीपस्थ बीएचईएल डिवीजन/स्थायी कार्यालय से इसे पुनर्मूल्यांकन करवाना होगा । आरईसीएचएस प्रभारी छंटनी के पश्चात जमा राशि को अधिकृत कर चिकित्सा कार्ड को अनुमोदित करेगा और कर्मचारी जहाँ पंजीकृत है उस इकाई को सूचित करेगा । इंटर यूनिट अकाउंट के माध्यम से इकाइयों के बीच राशि क्रेडिट होगी ।

- iii) 1 अप्रैल या उससे पहले पुनर्मूल्यांकन शुल्क के जमा न करने की स्थिति में, वे उसे जमा करने की तिथि तक उपचार/खर्चों की प्रतिपूर्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। (कारपोरेट परिपत्र क्रमांक 014/पीपीएक्स/2006, दिनांक 04.03.2006 के अनुसार)।

इस योजना के लाभ तब तक स्वीकार्य नहीं होंगे, जबकि – i) सेवानिवृत्त कर्मचारी अन्यत्र पूर्णकालिक तौर पर नौकरी कर रहे हों, अथवा ii) वह पति/पत्नी के रोजगार के दौरान प्राप्त किसी भी अन्य एजेंसी से चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहा हो।